

**आदेश-474**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-341/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 08/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-रायसेन/भोपाल/सीहोर/गुना  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- रूपये 8,60,000/- (रूपये आठ लाख साठ हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4752/08 दिनांक 03.07.08 आर. 703	संचालक, नेशनल अस्पताल अरेरा कालोनी भोपाल श्रीमती ज्योति चौहान पत्नी श्री शिवराज चौहान निवासी ग्राम गुगलवाड़ा तह. बरेली जिला रायसेन (हेपेटाईटिस एवं अन्य बीमारियों के उपचार हेतु)	रूपये 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) नियमों को शिथिल कर
2	एचसीएम. 4753/08 दिनांक 03.07.08 आर. 704	अध्यक्ष, नव युवक सभा, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़, जिला भोपाल (पंडित दीन दयाल उपाध्याय कन्या महाविद्यालय के निर्माण हेतु)	रूपये 5,00,000/- (पांच लाख)
3	एचसीएम. 4754/08 दिनांक 03.07.08 आर. 705	संचालक, बाम्बे हास्पिटल, मुंबई श्री ए.एस. चौहान निवासी बकतरा तह. बुदनी जिला सीहोर (ब्रेन ट्यूमर के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (पचास हजार)

4	एचसीएम. 4758 / 08 दिनांक 03.07.08 आर. 706	संचालक, नेशनल अस्पताल अरेरा कालोनी भोपाल श्रीमती शारदा तिवारी निवासी दीपचंद कालोनी के.के.सेल्स के पीछे, ए.बी. रोड, जिला गुना (ब्रेन हेमरेज से उपचार हेतु )	रूपये 1,00,000 /- (एक लाख )
5	एचसीएम. 4878 / 08 दिनांक 03.07.08 आर. 707	संचालक, मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रायसेन बायपास रोड भोपाल श्री सुधीर कुमार तिवारी निवासी म. न. आर-2/4 भदभदा रोड जिला भोपाल (हृदय रोग के उपचार हेतु )	रूपये 50,000 /- (पचास हजार)
6	एचसीएम. 4756 / 08 दिनांक 03.07.08 आर. 708	श्री अनिल कुमार महाराष्टी सी -336 शाहपुरा जिला भोपाल (पत्नी श्रीमती सरोज घाणेकर के ब्रेन हेमरेज के उपचार हेतु)	रूपये 50,000 /- (पचास हजार)
योग:-			रूपये 8,60,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 8,60,000 /- (रूपये आठ लाख साठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 08/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 341/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन/भोपाल/सीहोर/गुना (मध्य प्रदेश) कृपया**  
आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को  
उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की** ओर प्रेषित कर निवेदन है कि  
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन  
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7-342/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-बैतूल/शाजापुर/भोपाल/सागर/मंदसौर/अनूपपुर/अशोकनगर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- 1,03,000/- (रूपये एक लाख तीन हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4918/08 दिनांक 05.07.08 आर. 709	संचालक, पाठर हॉस्पिटल, जिला बैतूल श्री दिनेश आ. श्री रामप्रसाद नि. जामुनडोल ग्राम कालाआखर वि.ख. केसला तह. इटारसी जिला होशंगाबाद (पुत्र के दुर्घटना में घायल होने पर उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम. 4921/08 दिनांक 05.07.08 आर. 709	श्री रमेशचंद्र गोयल नि. गणेश कॉलोनी, फीगंज शुजालपुर मंडी जिला शाजापुर (पुत्र पवन के उपचार हेतु)	रूपये 2,000/- (दो हजार)

3	एचसीएम. 4925/08 दिनांक 05.07.08 आर. 709	श्री सलमान अली नि. जिला कोषालय के पीछे झुग्गी, एकता नगर, पुराना सचिवालय जिला भोपाल (पुत्र अरतम अली के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 4929/08 दिनांक 05.07.08 आर. 709	श्री अशोक आ. श्री नारायण सिंह नि. ग्राम मितेरा, तह. शुजालपुर जिला शाजापुर (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
5	एचसीएम. 4933/08 दिनांक 05.07.08 आर. 709	श्रीमती राधाबाई पत्नि स्व. श्री रामप्रसाद नि. ग्राम बेरखेडी माफी तह. बीना, जिला सागर (उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार)
6	एचसीएम. 4936/08 दिनांक 05.07.08 आर. 709	श्री शंकरलाल आ. श्री भैरूलाल धानुक नि. बहीपार्श्वनाथ तह. मल्हारगढ़ जिला मंदसौर (फेफड़ों के रोग के उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार)
7	एचसीएम. 4939/08 दिनांक 05.07.08 आर. 709	श्रीमती भूरी बाई पत्नी श्री युनुस खा. नि. ग्राम अकोदिया जिला शाजापुर (पुत्री के उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (दो हजार)
8	एचसीएम. 4941/08 दिनांक 05.07.08 आर. 709	श्री विजय मालवीय नि. म.न. 17 फायर ब्रिगेड के पीछे फतेहगढ़ जिला भोपाल (पुत्र के उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
9	एचसीएम. 4943/08 दिनांक 05.07.08 आर. 709	श्री विनोद दुबे नि. म.न.19 न्यू प्रगति स्कूल के पास मस्जिद के सामने गलीचाचांदबड़ जिला भोपाल (पुत्र के उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
10	एचसीएम. 4944/08 दिनांक 05.07.08 आर. 709	श्री शंभुदयाल यादव आ. श्री कन्हैयालाल नि. 974 यावदपुरा पुरानी विधानसभा के सामने जिला भोपाल (हृदय के उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (तीन हजार)
11	एचसीएम. 4945/08 दिनांक 05.07.08 आर. 709	संचालक, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल भोपाल श्री अजयकांत नि. 2/39 आदर्श नगर भोपाल जिला भोपाल (कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये 30,000/- (तीस हजार)

12	एचसीएम. 4946/08 दिनांक 05.07.08 आर. 709	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो हास्पिटल इंदौर श्री जागेश्वर प्रसाद साहू नि. मु.पो. पटनाकलां वि.ख. जैतहरी तह. अनूपपुर जिला अनूपपुर (पुत्री के उपचार हेतु)	रूपये 20,000/- (बीस हजार)
13	एचसीएम. 4947/08 दिनांक 05.07.08 आर. 709	श्रीमती पश्मीना बानो पत्नी निसार अहमद नि. आजम मोहल्ला वार्ड क. 5 अशोकनगर जिला अशोकनगर (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 3,000/- (तीन हजार)
योग:-			रूपये 1,03,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,03,000/- (रूपये एक लाख तीन हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7- 342/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- बैतूल/शाजापुर/भोपाल/सागर/मंदसौर/  
अनूपपुर/अशोकनगर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर  
तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि  
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन  
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**आदेश-476**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 343/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

कलेक्टर,  
जिला-सीहोर/विदिशा, (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2007-2008

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-8,60,000/- (रूपये आठ लाख साठ हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम -4900/08 दिनांक -05.07.08 आर-710	संचालक, नर्मदा ट्रामा सेंटर प्रा0लि0, ई-3/23, अरेरा कालोनी, भोपाल श्रीमती रामकली बाई पत्नी श्री गेंदालाल शर्मा, नि0 सरदार नगर, बुधनी, जिला-सीहोर (बच्चादानी की शल्यक्रिया हेतु)	रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार)
2	एचसीएम -4902/08 दिनांक -05.07.08 आर-710	संचालक, चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेयर प्रा0लि0, 6, मालीपुरा, भोपाल श्री हरीशंकर चौहान, नि0 ग्राम गादर पो0 आमोन, तह0 बुधनी, जिला-सीहोर (पुत्र देवांश के मस्तिष्क ज्वर के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (रूपये पंद्रह हजार)
3	एचसीएम -4905/08 दिनांक -05.07.08 आर-710	श्री रामेश्वर अहिरवार, नि0 सोठिया रोड, हरीपुरा, फूलसिंह हेड साहब के घर के पीछे जिला-विदिशा	रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार)



		(पुत्र के उपचार हेतु)	
4	एचसीएम -4910/08 दिनांक -05.07.08 आर-710	श्री लखनसिंह रघुवंशी, नि० बंदा वेरवी मार्ग, बरईपुरा मजार के पास, जिला-विदिशा (पत्नि के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (रुपये पांच हजार)
5	एचसीएम -4912/08 दिनांक -05.07.08 आर-710	श्री कल्याणसिंह, नि० पूरनपुरा हनुमान मंदिर के पास, जिला-विदिशा (पुत्री के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (रुपये पांच हजार)
6	एचसीएम -4914/08 दिनांक -05.07.08 आर-710	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा आ० श्री आर०डी० वर्मा, म०नं० 147, आज्ञाराम कालोनी, पुराने आर०टी०ओ० आफिस के सामने, जिला-विदिशा (स्वयं के उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार)
7	एचसीएम -4904/08 दिनांक -05.07.08 आर-711	श्री राजकुमार सोनी, अध्यक्ष, सोनी समाज, जिला-विदिशा (रामलीला चौहरा के पास धर्मशाला निर्माण हेतु)	रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) (नियमों को शिथिल करते हुए)
8	एचसीएम -4906/08 दिनांक -05.07.08 आर-711	श्री बृज नेमा, अध्यक्ष, नेमा समाज, जिला-विदिशा (बासकुल में धर्मशाला निर्माण हेतु)	रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) (नियमों को शिथिल करते हुए)
9	एचसीएम -4908/08 दिनांक -05.07.08 आर-711	श्री भगवानदास अहिरवार, अध्यक्ष, अहिरवार समाज, जिला-विदिशा (लोहांगीपुरा में धर्मशाला निर्माण हेतु)	रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) (नियमों को शिथिल करते हुए)
10	एचसीएम -4909/08 दिनांक -05.07.08 आर-711	श्री रामदयाल मालवीय, अध्यक्ष रजक-मालवीय समाज, जिला-विदिशा (मण्डी के पास धर्मशाला निर्माण हेतु)	रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) (नियमों को शिथिल करते हुए)
		कुल राशि-	रुपये 8,60,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 8,60,000/- (रुपये आठ लाख साठ हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे

कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-343/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24 /07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-सीहोर/विदिशा, (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**आदेश-477**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7-347/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

कलेक्टर,  
जिला-सीहोर/रायसेन/होशंगाबाद, (मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2007-2008

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-1,05,000/- (रुपये एक लाख पांच हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम -4916/08 दिनांक -05.07.08 आर-712	संचालक, चिरायु हॉस्पिटल, मालीपुरा, भोपाल श्री कृष्णकांत दुबे आ० स्व० श्री राम दुबे, नि०ग्राम लाड़कुई, तह० नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (माताजी श्री शांता दुबे के उपचार हेतु)	रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार)
2	एचसीएम -4919/08 दिनांक -05.07.08 आर-712	संचालक, चिरायु हॉस्पिटल, मालीपुरा, भोपाल सुश्री सिया गोगिया आ० श्री जगदीश गोगिया, नि० नेहरू कालोनी, जिला-सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 15,000/- (रुपये पंद्रह हजार)
3	एचसीएम -4920/08 दिनांक -05.07.08 आर-712	संचालक, एस०बी०एस० हॉस्पिटल, भोपाल श्री अजय कुमार जैन आ० श्री बाबूलाल जैन, नि० चौक बाजार, गैरतगंज, जिला-रायसेन	रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार)

		(उपचार हेतु)	
4	एचसीएम -4924 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-712	संचालक, स्वामी विवेकानंद रीजनल स्पाइन सेंटर, रिजर्व बैंक के पास, भोपाल श्री प्रेमनारायण आ० स्व० श्री शोभाराम चौकसे, नि० ग्राम रतन पुर, तह० सांची, जिला-रायसेन (माताजी श्रीमती सुशीलाबाई के उपचार हेतु)	रुपये 20,000 /- (रुपये बीस हजार)
5	एचसीएम -4927 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-712	संचालक, चरक हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, जहांगिराबाद, भोपाल श्री देवकरण प्रसाद शर्मा आ० श्री हरिराम, नि० वार्ड क्र० 8, देवल मोहल्ला, सिवनी मालवा, जिला-होशंगाबाद (उपचार हेतु)	रुपये 20,000 /- (रुपये बीस हजार)
		कुल राशि-	रुपये 1,05,000 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,05,000 /- (रुपये एक लाख पांच हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2007-2008** के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-347/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-सीहोर/रायसेन/होशंगाबाद, (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**आदेश-478**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-346/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

कलेक्टर,  
जिला-रायसेन/सीहोर/अशोकनगर/छतरपुर/सतना/उज्जैन/मुरैना,  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2007-2008

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-3,28,200/- (रुपये तीन लाख अट्ठाईस हजार दो सौ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम -4923/08 दिनांक -05.07.08 आर-714	संचालक, आर0ए0 स्टोन एवं सर्जिकल केयर, 48, एमएलए क्वार्टर्स, जवाहर चौक, भोपाल श्री नूर कुरेश, नि0 वार्ड नं0 12, तह0 बरेली, जिला-रायसेन (पुत्र आ0 आहाद खान के उपचार हेतु)	रुपये 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार)
2	एचसीएम -4928/08 दिनांक -05.07.08 आर-714	संचालक, भोपाल फ्रैक्चर हॉस्पिटल एण्ड सर्जिकल सेंटर, ई-3/28-ए, अरेरा कालोनी, भोपाल श्रीमती संगीता यादव पत्नि श्री राजेन्द्र कुमार नि0 ग्राम नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार)
3	एचसीएम -4932/08 दिनांक -05.07.08 आर-714	संचालक, लाईफ लाईन हॉस्पिटल, ए-498, शाहपुरा, भोपाल श्रीमती ममताबाई पत्नि श्री बलराम, नि0 ग्राम नंदगांव, तह0	रुपये 7,000/- (रुपये सात हजार)

		नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (उपचार हेतु)	
4	एचसीएम -4934 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-714	संचालक, भोपाल फ्रैक्चर हॉस्पिटल एण्ड सर्जिकल सेंटर, ई-3/28-ए, अरेरा कालोनी, भोपाल श्री धर्मेन्द्र आ० श्री फूलचंद पंवार नि० नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार)
5	एचसीएम -4930 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-714	संचालक, लाईफ लाईन हॉस्पिटल, ए-498, शाहपुरा, भोपाल श्रीमती धापूबाई पत्नि श्री शेर सिंह, नि० ग्राम कोठरा, तह० नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 7,000/- (रुपये सात हजार)
6	एचसीएम -4926 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-714	संचालक, चरक हॉस्पिटल, जहांगिराबाद, भोपाल श्री शेख हबीब आ० श्री राजा खां, नि० वार्ड क्र० 12, बाड़ी, तह० बरेली, जिला-रायसेन (उपचार हेतु)	रुपये 15,000/- (रुपये पंद्रह हजार)
7	एचसीएम -4922 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-714	संचालक, बाम्बे हॉस्पिटल, रिंग रोड, इंदौर श्री अरुण धाकड़ आ० श्री भगवतसिंह धाकड़, बोहरा कॉलोनी, वार्ड क्र० 9, जिला-अशोक नगर (उपचार हेतु)	रुपये 35,000/- (रुपये पैंतीस हजार)
8	एचसीएम -4898 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-715	अध्यक्ष, ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी, जिला छतरपुर (कन्या शिक्षा हेतु)	रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख) (घोषणा क्र० 1945, दि० 7.4.07)
9	एचसीएम -4915 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-716	श्रीमती बेसनिया देवी पत्नि श्री चुनावद प्रसाद प्रजापति, नि० ग्राम पो० नयागांव, वार्ड नं० 7, चित्रकूट, जिला-सतना (उपचार हेतु)	रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार)
10	एचसीएम -4917 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-716	श्री संतोष कुमार वर्मा आ० श्री कालूराम वर्मा, नि० ग्राम कनासिया, तह० तराना, जिला-उज्जैन	रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार)

		(उपचार हेतु)	
11	एचसीएम -4969/08 दिनांक -07.06.08 आर-717	कलेक्टर, जिला मुरैना श्री शंकरसिंह पुत्र श्री नवाब सिंह, नि0 ग्राम किरायच का पुरा, मौजा टिकटौली गुर्जर, जिला-मुरैना (लूटने के बाद 74 बकरियों को एक कमरे में बंद करने से हुई मृत्यु के कारण आर्थिक सहायता हेतु)	रुपये 59,200/- (रुपये उनसठ हजार दो सौ) (ध्यानाकर्षक सूचना क्रं0 307 से संबंधित लंबित आश्वासन क्रं0 963 के अनुपालन में) (नियमों को शिथिल करते हुए)
		कुल राशि-	रुपये 3,28,200/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 3,28,200/- (रुपये तीन लाख अठ्ठाईस हजार दो सौ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग



पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-346/2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक /07/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन/ सीहोर/ अशोकनगर/ छतरपुर/  
सतना/उज्जैन/मुरैना,, (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर  
तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि  
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन  
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**आदेश-479**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-348/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल/जबलपुर/सीहोर/सागर/इंदौर/शिवपुरी/विदिशा (मध्य प्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-2009

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-4,63,574/- (रुपये चार लाख तिरेसठ हजार पांच सौ चौहत्तर) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम -4891/08 दिनांक -05.07.08 आर-718	संचालक, चिरायु हेल्थ एण्ड मेडीकेअर प्रा०लि० भोपाल श्री नारायण सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह, नि० 16, जुमेराती, जिला-भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 2,22,574/- (रुपये दो लाख बाईस हजार पांच सौ चौहत्तर) (नियमों को शिथिल करते हुए)
2	एचसीएम -4889/08 दिनांक -05.07.08 आर-720	संचालक, सी०एच०एल० अपोलो हॉस्पिटल, इंदौर श्रीमती प्रिया विश्वकर्मा, लालभाटी सिद्ध बाबा रोड़, बिहारी नगर, जिला-जबलपुर (पुत्र आदित्य के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रुपये 75,000/- (रुपये पचहत्तर हजार)
3	एचसीएम -4901/08 दिनांक -05.07.08 आर-721	श्री लीलाकिशन, नि० ग्राम पो० मुस्करा, तह० व जिला-सीहोर (पुत्र के उपचार हेतु)	रुपये 40,000/- (रुपये चालीस हजार)

4	एचसीएम -4907 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-722	<b>संचालक, नवोदय कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, 41, जोन-2, एम0पी0 नगर, भोपाल</b> श्रीमती शकुंतला जैन पत्नी श्री पी0सी0 जैन, नि0 ए-45, इंद्रपुरी जिला-भोपाल (कैंसर (किमोथेरापी) के उपचार हेतु)	रुपये 30,000 /- (रुपये तीस हजार)
5	एचसीएम -4911 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-723	<b>संचालक, भंडारी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, 21-22, जी0एफ0 बी0एच0आर0सी0 परिसर, स्कीम नं0 54, मेघदूत गार्डन के सामने, इंदौर</b> श्रीमती शांतिबाई पत्नि श्री लालताप्रसाद चौहान, नि0 ग्राम डोबी, तह0 बुधनी, जिला-सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 25,000 /- (रुपये पच्चीस हजार)
6	एचसीएम -4913 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-723	<b>संचालक, नेशनल हॉस्पिटल, ई-3/61, अरेरा कालोनी,भोपाल</b> श्री किशनलाल आ0 श्री धन्नु लाल, नि0 ग्राम मछवाई, तह0 बुधनी, जिला-सीहोर (उपचार हेतु)	रुपये 20,000 /- (रुपये बीस हजार)
7	एचसीएम -4890 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-724	श्री मनोज आ0 श्री मल्थूराम, नि0 ग्राम कुमरई, तह0 गढ़ाकोटा, जिला-सागर (मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रुपये 3,000 /- (रुपये तीन हजार)
8	एचसीएम -4892 / 08	श्री संतोष आ0 श्री बुद्धे, नि0	रुपये 3,000 /-

	दिनांक -05.07.08 आर-724	ग्राम महुना, तह0 खुरई, जिला-सागर (उपचार हेतु)	(रुपये तीन हजार)
9	एचसीएम -4893 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-724	श्री विक्रमसिंह आ0 श्री अमर सिंह, नि0 केम्प नं0 2, इंद्रानगर, बैरागढ़, जिला-भोपाल (टी0बी0 के उपचार हेतु)	रुपये 3,000 / - (रुपये तीन हजार)
10	एचसीएम -4894 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-724	श्री बद्रीप्रसाद आ0 श्री राधा किशन, नि0 269, बी राज नगर, वार्ड क्रं0 2, जिला-इंदौर (पत्नी के उपचार हेतु)	रुपये 5,000 / - (रुपये पांच हजार)
11	एचसीएम -4896 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-724	श्री घनश्याम ओझा आ0 श्री चरनूराम ओझा, नि0 फतेहपुर बायपास रोड़, राकेश राठौर के मकान के पास, वार्ड नं0 15, जिला-शिवपुरी (उपचार हेतु)	रुपये 2,000 / - (रुपये दो हजार)
12	एचसीएम -4897 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-724	संचालक, चिरायु कार्डिएक सेंटर, 6, मालीपुरा, भोपाल श्री टुमनलाल आ0 श्री रामचरण कोटवार, नि0 ग्राम चौपड़ाकला, जिला-विदिशा (गले की शल्यक्रिया हेतु)	रुपये 25,000 / - (रुपये पच्चीस हजार)
13	एचसीएम -4899 / 08 दिनांक -05.07.08 आर-724	श्री अब्दुल जब्बार आ0 श्री अब्दुल सत्तार, नि0 16, जिन्सी, जहांगिराबाद, जिला-भोपाल (पैर के उपचार हेतु)	रुपये 10,000 / - (रुपये दस हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये 4,63,574 / -</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 4,63,574 / - (रुपये चार लाख तिरेसठ हजार पांच सौ चौहत्तर) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-348/2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 30/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल/ जबलपुर/ सीहोर/ सागर/ इंदौर/शिवपुरी/विदिशा (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**आदेश-480**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-345/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

कलेक्टर,  
जिला-रायसेन/नरसिंहपुर/सागर/विदिशा,  
(मध्य प्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2007-2008

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये-3,45,000/- (रूपये तीन लाख पैंतालीस हजार) मात्र स्वीकृत किये है:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम -4970/08 दिनांक -07.07.08 आर-725	संचालक, आरधाना मेटरनिटी एण्ड किडनी हॉस्पिटल, एच-8, बी सेक्टर, सोनागिरी, भोपाल श्री संतोष धाकड़, नि0 ग्राम पो0 सुल्तानपुर, जिला-रायसेन (किडनी के उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार)
2	एचसीएम -4971/08 दिनांक -07.07.08 आर-725	संचालक, पिपुल्स हॉस्पिटल, भानुपर- करोंद बायपास रोड़ भोपाल श्रीमती वर्षा शुक्ला, नि0 महावीर कालोनी, औबेदुल्लागंज, जिला-रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार)
3	एचसीएम -4972/08 दिनांक -07.07.08 आर-725	श्री गनेश प्रसाद राय, नि0 मु0पो0 सालीचौका रोड़, तह0 गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार)

4	एचसीएम -4973 / 08 दिनांक -07.07.08 आर-725	संचालक, भोपाल फ्रैक्चर हास्पिटल एण्ड सर्जिकल सेंटर, ई-3/28-ए अरेरा कालोनी, भोपाल श्री पप्पू (शोभाराम) चौहान आ0 श्री रोशनलाल चौहान, नि0 ग्राम मांगरोल, तह0 बरेली, जिला-रायसेन (पैर के फ्रैक्चर के उपचार हेतु)	रुपये 50,000 / - (रुपये पचास हजार)
5	एचसीएम -4974 / 08 दिनांक -07.07.08 आर-725	संचालक, सी0एच0एल0 अपोलो अस्पताल, इंदौर श्री महेश भट्ट आ0 श्री बाबू लाल भट्ट, नि0 विवेकानंद वार्ड जिला-सागर (हृदय के उपचार हेतु)	रुपये 30,000 / - (रुपये तीस हजार)
6	एचसीएम -4975 / 08 दिनांक -07.07.08 आर-725	श्रीमती लक्ष्मीबाई नागर पत्नी स्व0 श्री हेमराज नागर, नि0 वार्ड नं0 9, हिरानिया, नगर पंचायत ओबेदुल्लागंज, जिला-रायसेन (उपचार हेतु)	रुपये 40,000 / - (रुपये चालीस हजार)
7	एचसीएम -4958 / 08 दिनांक -07.07.08 आर-726	संचालक, हार्ट संजीवनी सेंटर वसंत संकुल, बस स्टैंड के सामने सटाणा, जिला नाशिक (महाराष्ट्र) श्री विश्वनाथ ताम्रकर, नि0 माल गोदाम रोड, गंज बासौदा, जिला-विदिशा (हृदय के उपचार हेतु)	रुपये 50,000 / - (रुपये पचास हजार)
8	एचसीएम -4959 / 08 दिनांक -07.07.08 आर-726	संचालक, भोपाला मेमोरियल हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, रायसेन बायपास रोड, भोपाल श्री रामकिशन आ0 श्री बाला प्रसाद, नि0 ग्राम करोंदा खुर्द, तह0 गंजबासौदा, जिला-विदिशा (किडनी के उपचार हेतु)	रुपये 25,000 / - (रुपये पच्चीस हजार)
9	एचसीएम -4960 / 08 दिनांक -07.07.08	संगीता बघेल पुत्री श्री खिलान सिंह, नि0 ग्राम सलैया,	रुपये 10,000 / - (रुपये दस हजार)

	<b>आर-726</b>	जिला-विदिशा (उपचार हेतु)	
<b>10</b>	एचसीएम -4961/08 दिनांक -07.07.08 <b>आर-726</b>	श्री मुकेश आ0 श्री प्रेमनारायण अग्रवाल, नि0 वार्ड नं0 15, गंजबासौदा, जिला-विदिशा (कैंसर के उपचार हेतु)	रुपये 15,000/- (रुपये पंद्रह हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये 3,45,000/-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 3,45,000/- (रुपये तीन लाख पैंतालीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहे हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42)-सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुरें )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-345/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
- 3 कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन/नरसिंहपुर/सागर/विदिशा, (मध्य प्रदेश)  
कृपया आवंटन इन-ट्रांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।



4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....**
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**आदेश-481**

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7-344/2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

कलेक्टर,  
जिला-बैतूल/विदिशा/भोपाल/रतलाम,  
(मध्य प्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2007-2008

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रुपये-2,35,000/- (रुपये दो लाख पैंतीस हजार) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स.क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक व दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम -4962/08 दिनांक -07.06.08 आर-727	संचालक, बृजमोहन तोरी मेमोरियल हॉस्पिटल, एम0ओ0-1, सिल्वर पैलेस, धानतोली, नागपुर श्री प्यारेलाल चौहान आ0 श्री भबीचंद चौहान, नि0 मु0 धारणी, पो0 सेमझिरा, तह0 मुलताई, जिला-बैतूल (दुर्घटना में घायल होने पर उपचार हेतु)	रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार)
2	एचसीएम -4963/08 दिनांक -07.06.08 आर-727	श्री शिवराज सिंह आ0 श्री लक्ष्मन सिंह यादव, नि0 ग्राम उमारिया, तह0 नटेरन जिला-विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार)
4	एचसीएम -4965/08 दिनांक -07.06.08 आर-727	श्री कच्छेदीलाल पिता श्री मोजी लाल अहिरवार, मु0 कजरी मडवास, तह0 सिरोंज, जिला-विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार)

5	एचसीएम -4966 / 08 दिनांक -07.06.08 आर-727	श्रीमती ममता तिवारी पत्नि श्री रामकुमार तिवारी, नि० वार्ड नं० 02, बालाजी मंदिर के पीछे, जिला-विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (रुपये पांच हजार)
6	एचसीएम -4967 / 08 दिनांक -07.06.08 आर-727	श्री औरनसिंह आ० श्री जयसिंह किरार, नि० ग्राम आमखेड़ा कालू तह० नटेरन, जिला-विदिशा (पुत्र के उपचार हेतु)	रुपये 2,000/- (रुपये दो हजार)
7	एचसीएम -4968 / 08 दिनांक -07.06.08 आर-727	<b>संचालक, पीपुल्स हॉस्पिटल, भानपुर, भोपाल</b> श्री सन्नवर खान आ० स्व० श्री हमीर खान, नि० टोरी मोहल्ला वार्ड नं० 20, जिला-विदिशा (किडनी के उपचार हेतु)	रुपये 15,000/- (रुपये पन्द्रह हजार)
8	एचसीएम -4949 / 08 दिनांक -07.06.08 आर-728	श्रीमती सुमराबाई पत्नी श्री तुलसी राम, नि० ग्राम भाल बामौरा, तह० कुरवाई, जिला-विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार)
9	एचसीएम -4950 / 08 दिनांक -07.06.08 आर-728	श्री सालिकराम आ० श्री गुनाखर वेल्वासे, नि० म०नं० 6, शिवम किराना स्टोर कुवांरपुरा, बरखेड़ी जिला-भोपाल (उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार)
10	एचसीएम -4951 / 08 दिनांक -07.06.08 आर-728	<b>संचालक, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, रायसेन बायपास रोड करोंद चौराहा, भोपाल</b> श्री चंदनसिंह आ० श्री मोतीलाल, नि० ग्राम महु तह० नटेरन, जिला-विदिशा (हृदय के उपचार हेतु)	रुपये 90,000/- (रुपये नब्बे हजार)
12	एचसीएम -4953 / 08 दिनांक -07.06.08 आर-728	श्री रामरतन आ० श्री धारू सिंह, नि० ग्राम बुडापुरा वार्ड नं० 24, गंजबासौदा जिला-विदिशा (बच्चे की अकाल मृत्यु होने पर सहायता)	रुपये 5,000/- (रुपये पांच हजार)

13	एचसीएम -4954 / 08 दिनांक -07.06.08 आर-728	श्री शिवम साहू आ0 श्री छोटे लाल साहू, नि0 टीकाराम अहिरवार का मकान नानाजी वाली गली, गंजबासौदा, जिला-विदिशा (पुत्र के उपचार हेतु)	रुपये 10,000 /- (रुपये दस हजार)
14	एचसीएम -4955 / 08 दिनांक -07.06.08 आर-728	श्रीमती कमलाबाई पत्नि श्री जगन्नाथ, नि0 ग्राम काछी पड़रिया, जिला-भोपाल (पति एवं सास के उपचार हेतु)	रुपये 5,000 /- (रुपये पांच हजार)
15	एचसीएम -4956 / 08 दिनांक -07.06.08 आर-728	श्री विकास पाल आ0 श्री रमेश चंद्र पाल, नि0 म0नं0 471, आकांक्षा, शबनम मंजिल के सामने गांधीनगर, जिला-रतलाम (सड़क दुर्घटना में आई चोटों के उपचार हेतु)	रुपये 20,000 /- (रुपये बीस हजार)
16	एचसीएम -4957 / 08 दिनांक -07.06.08 आर-728	श्रीमती चुन्नीबाई पत्नी श्री मुन्नीलाल नि0 ग्राम हिन्नौदा, तह0 गंजबासौदा, जिला-विदिशा (उपचार हेतु)	रुपये 8,000 /- (रुपये आठ हजार)
		<b>कुल राशि-</b>	<b>रुपये 2,35,000 /-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रुपये 2,35,000 /-(रुपये दो लाख पैंतीस हजार) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2007-2008 के अंतर्गत अनुदान मांग संख्या-1- सामान्य प्रशासन-शीर्ष-2013-105-मंत्रियों द्वारा विवेकानुदान (9064) मंत्रियों का विवेकानुदान-(42) -सहायक अनुदान-007-अन्य द्वारा स्वेच्छानुदान (मतदेय) में विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृष्ठा. क्रमांक एफ ए 7-344/2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- बैतूल/विदिशा/भोपाल/रतलाम, (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24 /07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-भोपाल  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये- 3,10,735/- (रूपये तीन लाख दस हजार सात सौ पैंतीस) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4768 /08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	संचालक, अनंतश्री हास्पिटल इन्द्रपुरी ए सेक्टर भोपाल श्री राजू आधवाने झुग्गी वार्ड 45 दुर्गा नगर जेल पहाड़ी जिला भोपाल (पत्नी श्री लक्ष्मी आधवाने के उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम. 4772 /08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्रीमती मातीलाल आ. श्री हीरालाल 1215 शंकराचार्य नगर जिला भोपाल (पेट के फोड़े के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 4774 /08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्रीमती पी पी बाई पत्नी श्री नरेन्द्र राधाकृष्ण कालोनी भानपुर बायपास रोड करोंद जिला भोपाल (गंभीर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
4	एचसीएम. 4777 /08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	कु. शीरीन कौसर पुत्री स्व श्री रफीक उद्दीन थाना शाहजानाबाद म.न.74 गली नं.1 सैंट्रल बैंक के पास जिला भोपाल (माताजी के आंख के आपरेशन हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

5	एचसीएम. 4782/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री मनोज सिंह पिता श्री हीरासिंह म.न. 24 अम्बेडकर नगर <b>जिला भोपाल</b> (पिताजी के लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
6	एचसीएम. 4785/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री संजीव कुमार जैन आ. श्री मोहनलाल जैन इमामी गेट नूरमहल गली नं. 8 जी. पी.ओ. के पीछे <b>जिला भोपाल</b> (मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
7	एचसीएम. 4788/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्रीमती सलमा बी पत्नी श्री अजहर म.नं. 55 फरहत अफजा <b>जिला भोपाल</b> (जल जाने के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
8	एचसीएम. 4793/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री शिवगोपाल चतुर्वेदी आ. स्व. श्री आर के चतुर्वेदी <b>जिला भोपाल</b> (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,38,735/- (एक लाख अड़तीस हजार सात सौ पैतीस)
9	एचसीएम. 4797/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री मोहन सिंह आ. श्री लीलाधर सूर्चवंशी म.नं 221 गली नं.2 प्रगति नगर <b>जिला भोपाल</b> (हार्निया के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
10	एचसीएम. 4798/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री सेवक राम आ. श्री कन्हैया इंदिरा नगर 12 नं. स्टाप <b>जिला भोपाल</b> (पैरो के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
11	एचसीएम. 4803/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री शेख अनवर हनीफ कालोनी वार्ड क. 66. <b>जिला भोपाल</b> (पेट के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
12	एचसीएम. 4806/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री कपिल साहू पिता श्री किसन लाल साहू झुग्गी न. 128 वार्ड क. 48 बोर्ड कालोनी के पास रविशंकर नगर <b>जिला भोपाल</b> (पत्नी के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
13	एचसीएम. 4808/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्रीमती ममता बाई पत्नी श्री रामकिशन ग्राम विशनखेड़ी भदभदा रोड पोस्ट बरखेड़ा नाथू <b>जिला भोपाल</b> (उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)
14	एचसीएम. 4810/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री मोहन लाल झुग्गी नं. 26 ओमनगर क. 2 <b>जिला भोपाल</b> (पुत्र नीलेश के लीवर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

15	एचसीएम. 4812/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री मालती बाई पत्नी श्री बारेलाल अहिरवार झुग्गी नं. 10 चार मंदिर रचना नगर गोविंदपुरा <b>जिला भोपाल</b> (पति के लकवा रोग के उपचार हेतु)	रुपये 10,000/- (दस हजार)
16	एचसीएम. 4816/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री मोहन लाल शर्मा आ. स्व श्री रतनलाल शर्मा मं. नं. 321, कोलार रोड आई .47 कोलार कालोनी <b>जिला भोपाल</b> (मानसिक एवं मिर्गी रोग के उपचार हेतु)	रुपये 4,000/- (चार हजार)
17	एचसीएम. 4822/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री आयाज मोहम्मद ए/ 437 एशबाग हाअसिंग बोर्ड कालोनी <b>जिला भोपाल</b> (उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
18	एचसीएम. 4827/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री बारकू आयरे आ. स्व. श्री श्रवण आयरे झुग्गी नं. 311 राहुल नगर एम.ए.सी.टी. चौराहे के पास पम्पापुर <b>जिला भोपाल</b> (टी.बी. रोग के उपचार हेतु)	रुपये 8,000/- (आठ हजार)
19	एचसीएम. 4833/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्रीमती सुनीता भट्टाचार्य पत्नी श्री विश्वनाथ भट्टाचार्य एच-1/167, 1100 क्वार्टर्स <b>जिला भोपाल</b> (टॉसिल एवं पेट के छाले की बीमारी के उपचार हेतु)	रुपये 8,000/- (आठ हजार)
20	एचसीएम. 4839/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री राजाभइया ढीमर पुत्र श्री शंकर प्रसाद वर्मा आई 55/15 साउथ टी.टी. नगर <b>जिला भोपाल</b> (पत्नी के गंभीर बीमारी के उपचार हेतु)	रुपये 4,000/- (चार हजार)
21	एचसीएम. 4843/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्री रज्जाक खा म.न.64 वार्ड नं. 64 आजाद नगर अशोका गार्डन <b>जिला भोपाल</b> (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रुपये 5,000/- (पांच हजार)
22	एचसीएम. 4850/08 दिनांक 03.07.08 आर. 729	श्रीमती राजेश्वरी सिंह राजपूत एच 8ए/10 नार्थ टी.टी.नगर <b>जिला भोपाल</b> (ब्लड प्रेशर एवं साइटिका के उपचार हेतु)	रुपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
<b>योग:-</b>			<b>रुपये 3,10,735/-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये- 3,10,735/- (रुपये तीन लाख दस हजार सात सौ पैँतीस) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन ट्रांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा **इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो।** प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर **15 दिवस के भीतर** निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.



प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- भोपाल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-विदिशा  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि राशि रूपये 1,91,692/- (रूपये एक लाख इंकानबे हजार छह सौ बानबे)मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4855/08 दिनांक 03.07.08 आर. 731	श्री मालम सिंह आ. श्री उधम सिंह ग्राम बैहलौट ग्राम पंचायत हरदूखेड़ी तह गंजबासौदा जिला विदिशा (लकवा रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 4859/08 दिनांक 03.07.08 आर. 731	श्रीमती विमला देवी साहू शमशाबाद जिला विदिशा (घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 4865/08 दिनांक 03.07.08 आर. 731	संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री नरेन्द्र सहेले आ.श्री हुकुमचंद सहेले ग्राम पठारी तह. कुरवाई जिला विदिशा (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 97,260/- (संतानबे हजार दो सौ साठ)

4	एचसीएम. 4868 / 08 दिनांक 03.07.08 आर. 731	संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री बी एल कटियार ग्राम पठारी तह. कुरवाई जिला विदिशा (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 50,000 /- (पचास हजार)
5	एचसीएम. 4872 / 08 दिनांक 03.07.08 आर. 731	संचालक, चिरायु हास्पिटल एंड मेडीकेयर सेंटर भोपाल श्री रामनारायण विश्वकर्मा जिला विदिशा (उपचार हेतु)	रूपये 34,432 /- (चौतीस हजार चार सौ बत्तीस)
योग:-			रूपये 1,91,692 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,91,692/- (रूपये एक लाख इंकानबे हजार छह सौ बानबे) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजित की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- बैतूल/शाजापुर/भोपाल/सागर/मंदसौर/  
अनूपपुर/अशोकनगर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर  
तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि  
माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन  
संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24 /07 /2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सीहोर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 2,19,800/- (रूपये दो लाख उन्नीस हजार आठ सौ )मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4876 /08 दिनांक 03.07.08 आर. 732	संचालक, नेशनल हास्पिटल भोपाल श्री विजेन्द्र पर्ते आ. श्री लखनलाल पर्ते ग्राम गिल्लौर तह. नसरुल्लागंज जिला सीहोर (करेंट लगने के कारण जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार) (नियमों को शिथिल कर अतिरिक्त रूप से)
2	एचसीएम. 4817 /08 दिनांक 03.07.08 आर. 732	संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री सियाराम त्रिवेदी पुत्र स्व. श्री रामबाबू त्रिवेदी ग्राम सरदार नगर तह. बुधनी जिला सीहोर (पुत्री रेणु के त्रिवेदी के उपचार हेतु)	रूपये 1,29,800/- (एक लाख उनतीस हजार आठ सौ)

3	एचसीएम. 4824 / 08 दिनांक 03.07.08 आर. 732	संचालक, नवोदय कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री सजन सिंह चौहान पिता श्री आर.जी.चौहान मु.पो. रेहटी तह बुधनी जिला सीहोर (पिताजी के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 25,000 /- (पच्चीस हजार)
4	एचसीएम. 4830 / 08 दिनांक 03.07.08 आर. 732	संचालक, सी.एच.एल. अपोलो हास्पिटल इंदौर श्रीमती रमा खण्डेलवाल पत्नी श्री राजेश कुमार खण्डेलवाल, नसरुल्लागंज जिला सीहोर (उपचार हेतु)	रूपये 40,000 /- (चालीस हजार)
योग:-			रूपये 2,19,800 /-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,19,800/- (रूपये दो लाख उन्नीस हजार आठ सौ ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- सीहोर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।**
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....**
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24 /07 /2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-रायसेन  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4835 /08 दिनांक 03.07.08 आर. 733	श्री उमेद सिंह ग्राम किवली तह. बरेली जिला रायसेन (पुत्र बैनी सिंह के पैर एवं सिर में चोट के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 4840 /08 दिनांक 03.07.08 आर. 733	श्रीमती चिन्ता बाई पत्नी श्री परशुराम ग्राम इटायाकला तह. गौहरगंज जिला रायसेन (ब्रेन हेमरेज के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
3	एचसीएम. 4842 /08 दिनांक 03.07.08 आर. 733	श्री भूरालाल आ. श्री टीकाराम कामतोन तह. बरेली जिला रायसेन (टी.बी. रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 4846 /08 दिनांक 03.07.08 आर. 733	श्रीमती राम बाई पति श्री तरवर सिंह ग्राम सिलगेना ब्लाक बाड़ी तह. बरेली जिला रायसेन (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 30,000/-



2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 30,000/- (रूपये तीस हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- रायसेन (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-बैतूल  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 18,000/- (रूपये अठ्ठारह हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4849/08 दिनांक 03.07.08 आर. 734	कृ. सुखिया पिता श्री रामजी ग्राम मेंडा पो. छिंदवाडा ब्लाक आठनेर तह. भैंसदेही जिला बैतूल (उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 4853/08 दिनांक 03.07.08 आर. 734	श्रीमती निर्मला वर्मा पत्नी श्री श्रीराम सुहागपुर ढाना सिलपटी तह. शाहपुर जिला बैतूल (पति के सड़क दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 4856/08 दिनांक 03.07.08 आर. 734	श्रीमती सावित्री बाई मोती वार्ड कोठी बाजार जिला बैतूल (गंभीर बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
		योग:-	रूपये 18,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 18,000/- (रूपये अठ्ठारह हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- बैतूल (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24 /07 /2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-देवास  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 13,000/- (रूपये तेरह हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4861/08 दिनांक 03.07.08 आर. 735	श्री हितेश राठौर पिता श्री गेंदालाल राठौर ग्राम अजनास तह. खातेगांव जिला देवास (रीढ़ की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
2	एचसीएम. 4864/08 दिनांक 03.07.08 आर. 735	श्रीमती चिंताबाई खारदा जिला देवास (बच्चेदानी के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
योग:-			रूपये 13,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 13,000/- (रूपये तेरह हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म.

प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- देवास (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
-:आदेश:-

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

कलेक्टर,  
जिला-बुरहानपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 79,000/- (रूपये उन्नयासी हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4870/08 दिनांक 03.07.08 आर. 736	1. मृतका श्रीमती महरूननिसा पत्नी श्री मुख्तार अहमद	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
	एचसीएम. 4871/08 दिनांक 03.07.08 आर. 736	2. मृतक मुबीन श्री मुख्तार अहमद	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
	एचसीएम. 4874/08 दिनांक 03.07.08 आर. 736	3. मृतक यासीन पिता श्री मुख्तार अहमद ब्लॉक नं 20 प्लाट नं 178/2 जिला बुरहानपुर (छत एवं दीवार गिरने से उपरोक्त तीन लोगो की मृत्यू हो जाने से वारिस श्री मुख्तार अहमद को सहायता)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
2	एचसीएम. 4755/08 दिनांक 03.07.08 आर. 736 मा. विधायक श्रीमती अर्चना चिटनीस	श्री राजेश पिता श्री बंसीलाल नेपानगर जिला बुरहानपुर (वाहन दुर्घटना में घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 4,000/- (चार हजार)

		योग:-	रूपये 79,000/-
--	--	-------	----------------

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 79,000/- (रूपये उन्नयासी हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-इंदौर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,52,000/- (रूपये एक लाख बावन हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4757/08 दिनांक 03.07.08 आर. 737	संचालक, भंडारी हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर श्री नवीन 1563/10, नंदा नगर जिला इंदौर (पुत्र नमन के टंग टाई के उपचार हेतु)	रूपये 17,000/- (सत्रह हजार)
2	एचसीएम. 4759/08 दिनांक 03.07.08 आर. 737	संचालक, सी. एच. अपोलो हास्पिटल इंदौर श्री अमर शर्मा अभिलाषा नगर उद्योग नगर जिला इंदौर (पुत्र अर्पित शर्मा के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 1,10,000/- (एक लाख दस हजार)
3	एचसीएम. 4760/08 दिनांक 03.07.08 आर. 737	श्री मो. युसुफ पिता श्री अब्दुल करीम 96/1, आजाद नगर पुरानी मस्जिद के पास जिला इंदौर (पुत्र की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 4763/08 दिनांक 03.07.08 आर. 737	श्री तुलसीराम पिता श्री रामरतन 124, पिपल्याराव जिला इंदौर (हिप रिप्लेसमेंट हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)



5	एचसीएम. 4767/08 दिनांक 03.07.08 आर. 737 मा. सांसद सदस्य श्रीमती सुमित्रा महाजन	श्रीमती रेखा गोयल पत्नी श्री रवि गोयल 163, हुकुमचंद कालोनी जिला इंदौर (हिप रिप्लेसमेंट हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 1,52,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,52,000/- (रूपये एक लाख बावन हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- इंदौर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टाक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-मुरैना  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4776/08 दिनांक 03.07.08 आर. 738	श्रीमती राधा गुप्ता पत्नी श्री ऋषि कुमार गुप्ता सदर बाजार जिला मुरैना (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 4780/08 दिनांक 03.07.08 आर. 738	कुमारी प्रीती शर्मा पुत्री स्व. श्री राधाचरण शर्मा ग्राम मिरधान जिला मुरैना (उच्च शिक्षा हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार) नियमों को शिथिल करते हुए कलेक्टर मुरैना को प्रति पूर्ति हेतु
3	एचसीएम. 4784/08 दिनांक 03.07.08 आर. 738	श्रीमती बतसिया पत्नी स्व. श्री गबदुराम तिवारी का पुरा जिला मुरैना (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
योग:-			रूपये 25,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला-मुरैना (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

कलेक्टर,  
जिला-ग्वालियर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 1,18,000/- (रूपये एक लाख अठ्ठारह हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4790/08 दिनांक 03.07.08 आर. 739 मा. विधायक श्री बृजेन्द्र तिवारी	श्री रामवरन पुत्र श्री मातादीन चौरसिया ग्राम बाग का पुरा वार्ड क.9 बिलौआ जिला ग्वालियर (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)
2	एचसीएम. 4792/08 दिनांक 03.07.08 आर. 739 मा. विधायक श्री बृजेन्द्र तिवारी	श्री रिकु पुत्र श्री रमेश ग्राम निरावली जिला ग्वालियर (गंभीर बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पन्द्रह हजार)

3	<p>एचसीएम. 4795 / 08 दिनांक 03.07.08 <b>आर. 739</b> <b>मा. मंत्री श्री जयंत कुमार मलैया</b></p> <p>एचसीएम. 4799 / 08 दिनांक 03.07.08 <b>आर. 739</b> <b>मा. मंत्री श्री जयंत कुमार मलैया</b></p> <p>एचसीएम. 4801 / 08 दिनांक 03.07.08 <b>आर. 739</b> <b>मा. मंत्री श्री जयंत कुमार मलैया</b></p>	<p>1. श्री नाथूराम गौड़ पार्षद एवं बाजार विभाग प्रभारी वार्ड क्र. 16 नगर निगम <b>जिला ग्वालियर</b> ( हृदय रोग के उपचार हेतु)</p> <p>2. श्री राम बाबू आ. श्री सुखवासी कोटावाल मोहल्ला <b>जिला ग्वालियर</b> (भरण पोषण हेतु)</p> <p>3. श्री अशोक कुमार आ. श्री मनीराम गोसपरा नं. 1 <b>जिला ग्वालियर</b> (पैरालिसिस के उपचार हेतु)</p>	<p>रूपये 5,000 / - (पांच हजार)</p> <p>रूपये 5,000 / - (पांच हजार)</p> <p>रूपये 5,000 / - (पांच हजार)</p>
4	<p>एचसीएम. 4805 / 08 दिनांक 03.07.08 <b>आर. 739</b></p>	<p>श्रीमती मीरा बाथम पत्नी स्व. श्री चैनूराम बाथम कुम्हारपुरा मुरार <b>जिला ग्वालियर</b> (पथरी के उपचार हेतु)</p>	<p>रूपये 8,000 / - (आठ हजार)</p>
5	<p>एचसीएम. 4809 / 08 दिनांक 03.07.08 <b>आर. 739</b></p>	<p>श्री श्यामा सिंह उर्फ बादशाह पिता श्री राधाकिशन ग्राम गोवई बिजोली <b>जिला ग्वालियर</b> (पुत्र की नदी में डूबने से मृत्यु हो जाने से सहायता)</p>	<p>रूपये 5,000 / - (पांच हजार)</p>
6	<p>एचसीएम. 4813 / 08 दिनांक 03.07.08 <b>आर. 739</b></p>	<p>श्री सौरव यादव मामा का बाजार जम्बूरखाना शंकर चक्की वाले के पास <b>जिला ग्वालियर</b> (सुरायसिस की बीमारी के उपचार हेतु )</p>	<p>रूपये 10,000 / - (दस हजार)</p>
7	<p>एचसीएम. 4815 / 08 दिनांक 03.07.08 <b>आर. 739</b></p>	<p>श्रीमती पूनम वाधवानी पत्नी श्री हरीश कुमार तिलक नगर लश्कर <b>जिला ग्वालियर</b> (पति के मस्तिष्क रोग के उपचार हेतु)</p>	<p>रूपये 10,000 / - (दस हजार)</p>
8	<p>एचसीएम. 4820 / 08 दिनांक 03.07.08 <b>आर. 739</b></p>	<p>श्रीमती आशा कुशवाह पति स्व. श्री केशव सैह काला सैयद रोड तारागंज लश्कर <b>जिला ग्वालियर</b> (पति की मृत्यु हो जाने से सहायता)</p>	<p>रूपये 5,000 / - (पांच हजार)</p>
9	<p>एचसीएम. 4826 / 08 दिनांक 03.07.08 <b>आर. 739</b></p>	<p><b>संचालक, कैसर हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ग्वालियर</b> श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी स्व. श्री योगेन्द्रपाल सिंह म.न. 3, ए / एम.आई. जी द्वारा श्री आनंद सिंह दीन दयाल नगर <b>जिला ग्वालियर</b> (कैसर रोग के उपचार हेतु)</p>	<p>रूपये 25,000 / - (पच्चीस हजार)</p>

10	एचसीएम. 4831/08 दिनांक 03.07.08 आर. 739	श्री रविकांत दुबे (पत्रकार) पिता श्री जमुना प्रसाद गुढा गुढी नाका जिला ग्वालियर (पिताजी के कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 1,18,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 1,18,000/- (रूपये एक लाख अठ्ठारह हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन द्वांजित की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- ग्वालियर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

**मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--**

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-टीकमगढ़  
(मध्यप्रदेश)

**विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09**

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4838/08 दिनांक 03.07.08 आर. 740	श्रीमती भागवती अहिरवार पत्नी श्री गोविन्द दास अहिरवार सिमरा खुर्द (पलेरा) जिला टीकमगढ़ (पेट के कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 4845/08 दिनांक 03.07.08 आर. 740	श्रीमती फूलाबाई अहिरवार पत्नी स्व. श्री रज्जू अहिरवार देरी तह बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ (पति की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 4848/08 दिनांक 03.07.08 आर. 740	श्री सुमित आदिवासी तनय श्री बालकिशन वार्ड न. 5 निवाड़ी जिला टीकमगढ़ (चर्म रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 4852/08 दिनांक 03.07.08 आर. 740	श्रीमती हरकुवर लोधी पत्नी स्व. श्री हरगोपाल लोधी सिजौरा बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ (पति की एयर कम्प्रेसर फट जाने से मृत्यु हो जाने के कारण सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		<b>योग:-</b>	<b>रूपये 25,000/-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 25,000/- (रूपये पच्चीस हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि



का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)  
प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--आदेश--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-छतरपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4863/08 दिनांक 03.07.08 आर. 741 मा. राज्यमंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह	श्री कृपाल सिंह गोचीपुरा ग्राम पंचायत करगी वि. ख. बड़ा मलाहरा जिला छतरपुर (पुत्र संजय सिंह के हृदय के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 / 2008 / एक (1)  
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 24 / 07 / 2008

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- छतरपुर (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-मंदसौर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4867/08 दिनांक 03.07.08 आर. 742	श्रीमती सुमित्रा बाई पति श्री नारायण अंतरिया ग्राम बुढनपुर तह. भानपुरा जिला मंदसौर (उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:-	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 10,000/- (रूपये दस हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- मंदसौर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित** .....
7. स्टक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सागर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 2,55,000/- (रूपये दो लाख पचपन हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4761/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	श्रीमती रोहणी कुशवाह पत्नी श्री नारायण सिंह कुशवाह ग्राम पटकुई जिला सागर (पति के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
2	एचसीएम. 4762/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	श्रीमती राज बाई पुत्री श्री अच्छेलाल प्रजापति भैसा नाका जिला सागर (जल जाने से उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
3	एचसीएम. 4764/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	श्री शंकर पटेल पिता श्री मलखान पटेल बिलहरा जिला सागर (हाथ के फ्रेक्चर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 4765/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743 मा. विधायक श्री धरमू राय	श्री गिरवर पटेल पिता श्री मनखुशी पटेल ग्राम मढैयामाफी पा. परसीन तह. खरई जिला सागर (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 4766/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	श्री प्रेमसींग हिनोतिया तह. राहतगढ़ जिला सागर (पुत्री सपना के घायल हो जाने से उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
6	एचसीएम. 4769/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	श्री आशोक कुमार ग्राम खेरी पदम पो. रसेना तह. देवरीकला जिला सागर (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)

7	एचसीएम. 4770/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	श्री करन अहिरवार पिता श्री उत्तम अहिरवार खुरई थावरी जिला सागर (पत्नी श्रीमती वर्षा की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
8	एचसीएम. 4771/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743 मा. विधायक श्रीमती सुशीला राकेश सीरोठिया	श्रीमती लीलाबाई पत्नी स्व. श्री रामबाबू करोलिया आचवल वार्ड बीना जिला सागर (किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
9	एचसीएम. 4773/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743 मा. मंत्री श्री गोपाल भार्गव	संचालक, चिरायु हास्पिटल एंड मेडिकेयर सेंटर भोपाल श्री कुंज बिहारी तिवारी मकरोनिया जिला सागर (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
10	एचसीएम. 4775/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743 मा. मंत्री श्री गोपाल भार्गव	संचालक, जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल श्री राजकुमार पाराशर आ. श्री महेश पाराशर ग्राम चांदपुर तह. रहली जिला सागर (उपचार हेतु)	रूपये 25,000/- (पच्चीस हजार)
11	एचसीएम. 4778/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	श्री बद्रीप्रसाद हजारी पिता स्व. श्री ज्वाला प्रसाद हजारी ग्राम ककरी बेरखेरी तह. रहली जिला सागर (नाती राम के हेपेटाईटिस की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
12	एचसीएम. 4779/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	श्री तरवर पिता श्री मानसिंह पटेल ग्राम चौका तह. रहली जिला सागर (पुत्री के पैर की हड्डी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
13	एचसीएम. 4781/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	श्री लखन दीक्षित ग्राम रोम तह. गढाकोटा जिला सागर (पैर के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
14	एचसीएम. 4783/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	संचालक, भोपाल मेमोरियल हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर भोपाल श्री वीरेन्द्र सिंह ग्राम जींदा जिला सागर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 75,000/- (पचहत्तर हजार)
15	एचसीएम. 4786/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	श्री बलराम नामदेव पिता श्री मुन्नीलाल नामदेव 254, गंभीरिया जिला सागर (गर्दन के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
16	एचसीएम. 4787/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	श्री शंकर रिछारिया एच आई जी 256 दीनदयाल नगर मकरोनिया जिला सागर (हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
17	एचसीएम. 4789/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	श्री श्याम सुंदर रावत पिता श्री ओकांर प्रसाद रावत बिलहरा जिला सागर (पुत्र की आख के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)

18	एचसीएम. 4791/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743	श्री विनोद जोशी पिता श्री ओंकर जोशी वार्ड न. 9 रहली जिला सागर (मूत्राशय की बीमारी के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
19	एचसीएम. 4794/08 दिनांक 03.07.08 आर. 743 मा. विधायक श्रीमती सुशीला राकेश सीरोठिया	श्री मुन्नालाल अहिरवार पिता श्री रामलाल अहिरवार ग्राम परसोरा तह. बीना जिला सागर (फेफड़ों के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 2,55,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 2,55,000/- (रूपये दो लाख पचपन हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें हैं।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ति रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग



पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- सागर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। **सर्वर में फीड करावें।**
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक / संबंधित .....**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
—:आदेश:—

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-दमोह  
(मध्यप्रदेश)

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार ) मात्र स्वीकृत किये हैं:—

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4796/08 दिनांक 03.07.08 आर. 744	श्री धीरेन्द्र साहू पिता श्री स्वामी प्रसाद साहू स्नेह तह. हटा जिला दमोह (गोली लग जाने के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
		योग:—	रूपये 10,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- दमोह (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्राजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-जबलपुर  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 15,000/- (रूपये पंद्रह हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4800/08 दिनांक 03.07.08 आर. 745	श्री मोतीलाल शर्मा सुहागी जिला जबलपुर (पुत्र आशीष के किडनी रोग के उपचार हेतु)	रूपये 15,000/- (पंद्रह हजार)
		योग:-	रूपये 15,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 15,000/- (रूपये पंद्रह हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि

संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- जबलपुर (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-सिवनी  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 33,000/- (रूपये तैतीस हजार ) मात्र स्वीकृत किये हैं:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4802/08 दिनांक 03.07.08 आर. 746	श्री दामोदर पुत्र श्री लटार साहू सांडदेव रैयतवाड़ी तह. बरघाट जिला सिवनी (पुत्र की तालाब में डूबकर मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
2	एचसीएम. 4804/08 दिनांक 03.07.08 आर. 746	श्री अनिल कुमार चौरसिया ग्राम समनापुर तह. लखनादौन जिला सिवनी (पुत्री कु वैष्णवी के हृदय रोग के उपचार हेतु)	रूपये 8,000/- (आठ हजार)
3	एचसीएम. 4807/08 दिनांक 03.07.08 आर. 746	श्री सुमतलाल आ. श्री तिलोक सिंह ओझा ग्राम रहेलोनकला तह. लखनादौन जिला सिवनी (पत्नी श्रीमती रमियाबाई के कैंसर के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
4	एचसीएम. 4811/08 दिनांक 03.07.08 आर. 746	श्री जीवनलाल पिता श्री बकराम गौड़ दुर्गापुर तह. कुरई जिला सिवनी (पुत्र की मृत्यु हो जाने से सहायता)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
5	एचसीएम. 4814/08 दिनांक 03.07.08 आर. 746	श्री चन्द्रिका सिंह ठाकुर ग्राम हिनोतिया पो जाम जिला सिवनी (कैंसर रोग के उपचार हेतु)	रूपये 10,000/- (दस हजार)
<b>योग:-</b>			<b>रूपये 33,000/-</b>

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि रूपये 33,000/- (रूपये तैंतीस हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावें।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुरें )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. कोषालय अधिकारी, जिला- सिवनी (मध्य प्रदेश) कृपया आवंटन इन-टांजिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावें।
4. मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजें। सर्वर में फीड करावें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....
7. स्टॉक फाइल.

अवर सचिव  
मध्य प्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
--:आदेश:--

क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

प्रति,

कलेक्टर,  
जिला-राजगढ़  
(मध्यप्रदेश)

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश. के स्वेच्छानुदान-वित्तीय वर्ष 2008-09

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश ने अपने स्वेच्छानुदान मद से निम्नलिखित व्यक्ति/संस्था को उनके नाम के समक्ष में दर्शाए अनुसार कुल राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार ) मात्र स्वीकृत किये है:-

स. क्र.	मुख्यमंत्री कार्यालय का मिनिट्स क्रमांक, दिनांक तथा प्रस्तावक का नाम	अनुदानग्रहिता का नाम, पता एवं प्रयोजन	स्वीकृत की गई राशि.
1	2	3	4
1	एचसीएम. 4818/08 दिनांक 03.07.08 आर. 747	श्रीमती कमलेश बाई सक्सेना पिता श्री शिवनारायण सक्सेना ग्राम कुंवरकोटरी तह. नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (पति के मानसिक रोग के उपचार हेतु)	रूपये 5,000/- (पांच हजार)
		योग:-	रूपये 5,000/-

2/ उपरोक्तानुसार कुल राशि 5,000/- (रूपये पांच हजार ) मात्र की राशि का आहरण कर भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा इतनी ही राशि का आवंटन आपको उपलब्ध कराया जाता है। आहरण आवंटन इन टांजिट की व्यवस्था के तहत करें, मुख्य लेखाधिकारी आपको आवंटन दे रहें है।

3/ स्वेच्छानुदान की स्वीकृत राशि से संबंधित व्यक्तियों/संस्था को तत्काल सूचित करें एवं तदनुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करें, तथा इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावे कि एक ही वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति/संस्था को एक ही उद्देश्य हेतु दुबारा अनुदान का भुगतान न हो। प्राप्ती रसीद व उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अनुदानग्रहिता से प्राप्त कर आदेश क्रमांक व दिनांक अंकित कर 15 दिवस के भीतर निश्चित रूप से मुख्य लेखाधिकारी, म. प्र.मंत्रालय भोपाल को भेजें। यदि जिले में चुनाव आंचार संहिता प्रभावशील हो तो उसका पालन सुनिश्चित किया जाय।

4/ निर्देशानुसार यह भी लेख है कि प्रस्तुत आदेश में जिन प्रकरणों में राशि अनुदान ग्रहिता के इलाज हेतु अस्पताल के नाम स्वीकृत की गई है, उन प्रकरणों में राशि



संबंधित अनुदानग्रहिता के जिले के कलेक्टर द्वारा आहरण कर संबंधित अस्पताल को भुगतान की जावे ।

5/ यह व्यय वित्तीय वर्ष **2008-09** के अंतर्गत अनुदान शीर्ष-8000-00-0000-0010-0000-V-00-000 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( बसंत कुर्रे )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 24/07/2008

पृ. क्रमांक एफ ए 7- 350 /2008/एक (1)

प्रतिलिपि-

- 1 महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश
- 2 सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल
3. **कोषालय अधिकारी, जिला- राजगढ़ (मध्य प्रदेश)** कृपया आवंटन इन-ट्रान्जिट के आधार पर तुरन्त राशि आहरण कर संबंधित कलेक्टर को उपलब्ध करावे।
4. **मुख्य लेखाधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल** की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वेच्छानुदान मद से स्वीकृत राशि के लिए आवंटन संबंधित कलेक्टर को भेजे। सर्वर में फीड करावे।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल.
6. **संबंधित माननीय प्रस्तावक/संबंधित .....**
7. **स्टाक फाइल.**

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

